विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम शुंक्रवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछेगये अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर-

प्रश्न	उत्तर
अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1	
(क) क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के शिक्षक एवं कर्मचारी जो वर्ष 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए है, उनको एक नोशनल वेतन वृद्धि देने का प्राविधान किया गया है?	जी नहीं। वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024, दिनांक 12-06-2024 के माध्यम से दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि दिया जाना नियत है, द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ते हुए पेंशन एवं ग्रेच्युटी के आगणन का प्राविधान किया गया है। ऐसे कार्मिक जो दिनांक 01.01.2006 के उपरांत परंतु प्रश्नगत शासनादेश निर्गत होने के दिनांक 12 जून, 2024 के पूर्व संबंधित वर्ष की 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके थे, उन्हे यह लाभ अनुमन्य होता है परंतु एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं है। तत्क्रम में उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों की परिधि में आने वाले राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/अन्य राज्य कर्मचारियों को उक्तानुसार एक नोशनल वेतन वृद्धि अनुमन्य की जाती है।
(ख) यदि हाँ, तो उच्च शिक्षा विभाग में ऐसे शिक्षक जो 31 दिसम्बर एवं 30 जून को सेवानिवृत्त हुए है जिनके वेतन वृद्धि की तिथि यदि 01 जनवरी, व 01 जुलाई है, तो शासन की मंशा के अनुसार अभी तक उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सेवानिवृत्त शिक्षकों पर लागू क्यों नहीं किया गया?	प्रदेश स्थित राजकीय महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकों को शासनादेश संख्या-11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024, दिनांक 12-06-2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार एक नोशनल वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
(ग) क्या उसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध जॉच कराकर जॉच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?	प्रश्न नहीं उठता।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री